



2026:AHC: 183708

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 4991 वर्ष 2025

धर्मेन्द्र वर्मा

.....पुनरीक्षणवादी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणवादी(गण) के अधिवक्ता

: अर्पित अग्रवाल

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, पी.एच. वशिष्ठ

न्यायालय संख्या- 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल

1. वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण विद्वान विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 4, जिला पीलीभीत द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25.07.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद संख्या 1303917 वर्ष 2024, मोहम्मद नईम बनाम धर्मेन्द्र वर्मा में विद्वान सिविल जज अवर प्रभाग एफ.टी.सी./जे.एम., पीलीभीत द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश को पुष्ट किया गया है।

2. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सक्सेना और विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.एस. वशिष्ठ को सुना गया।

3. विद्वान सिविल जज अवर प्रभाग एफ.टी.सी./जे.एम., पीलीभीत के निर्णय द्वारा, पुनरीक्षणवादी को एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया था और छह महीने के सादा कारावास और 2,75,000/- रुपये के जुर्माने का दंडादेश दिया गया था, इस आगे के निर्देश के साथ कि, जुर्माने के भुगतान में चूक होने पर, वह तीन महीने का अतिरिक्त सादा कारावास

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भुगतेंगा। विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 25,000/- रुपये न्यायालय में जुर्माने के रूप में जमा किए जाएं और शेष 2,50,000/- रुपये की राशि शिकायतकर्ता को चेक राशि, मुकदमेबाजी के खर्च और अन्य उपयुक्त प्रतिकर के रूप में भुगतान की जाए।

4. वर्तमान पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान, इस न्यायालय ने आदेश दिनांक 11.09.2025 के माध्यम से, इस शर्त के अधीन पुनरीक्षणवादी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया कि एक महीने के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से विपक्षी संख्या 2/शिकायतकर्ता को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, पुनरीक्षणवादी ने शिकायतकर्ता को 1,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया, जो आदेश-पत्र दिनांक 11.11.2025 में भी दर्ज है। आदेश-पत्र दिनांक 11.09.2025 से यह भी प्रकट होता है कि पुनरीक्षणवादी द्वारा 27,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की गई थी।

5. यह आगे प्रस्तुत किया गया है, और अभिलेख से भी स्पष्ट है, कि पुनरीक्षणवादी ने तत्पश्चात 1,00,000/- रुपये की शेष राशि जमा कर दी है। पुनरीक्षणवादी की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र में यह कहा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,50,000/- रुपये की और राशि की व्यवस्था की गई है और पुनरीक्षणवादी इसे विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है।

6. हालांकि, चूंकि पूर्वोक्त डिमांड ड्राफ्ट इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 11.11.2025 के माध्यम से निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं किया जा सका, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने इस आधार पर उक्त राशि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि राशि जमा करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

7. पुनरीक्षणवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का सारवान अनुपालन हुआ है और पुनरीक्षणवादी इस न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि पहले ही जमा कर चुका है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वह अभी भी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,50,000/- रुपये की शेष राशि जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक है और उक्त डिमांड ड्राफ्ट संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा किए जाने के लिए पहले ही तैयार किया जा चुका है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विपक्षी/शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पूर्वोक्त स्थिति का विवाद नहीं करते हैं। पक्षकारों द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता को 1,00,000/- रुपये की राशि प्राप्त हो गई है जिसका भुगतान पूर्व के आदेश के अनुसरण में उसे करने का निर्देश दिया गया था। यह भी कहा गया है कि शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में उपलब्ध है और पुनरीक्षणवादी इसे विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करने के लिए तैयार है।

9. पक्षकारों के अभिवेदनों और वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि पुनरीक्षणवादी ने पुनरीक्षण के लंबित रहने के दौरान जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने का वास्तविक प्रयास किया है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, शेष राशि जमा करने में हुआ विलंब प्रकृति में प्रक्रियात्मक प्रतीत होता है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि, पुनरीक्षणवादी ने 1,50,000/- रुपये की शेष राशि जमा करने की अपनी स्पष्ट इच्छा व्यक्त की है और उक्त राशि डिमांड ड्राफ्ट के रूप में तैयार बताई गई है।

10. यह भी प्रासंगिक है कि विवाद एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत एक अपराध से उत्पन्न हुआ है, जो आवश्यक रूप से प्रतिकरात्मक प्रकृति का है। शिकायतकर्ता को प्रतिकर प्रदान करने का उद्देश्य काफी हद तक पूरा हो जाएगा यदि जमा करने के लिए निर्देशित राशि वास्तव में उसे उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि दोषसिद्धि को बनाए रखते हुए दंडादेश को संशोधित करके न्याय के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा। तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

11. पुनरीक्षणवादी की एन.आई. एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दोषसिद्धि एतद्वारा पुष्ट की जाती है। हालांकि, पुनरीक्षणवादी को दिए गए कारावास के मूल दंडादेश को संशोधित किया जाता है और एतद्वारा पहले ही भुगती जा चुकी अवधि में परिवर्तित किया जाता है। पुनरीक्षणवादी अपने द्वारा पहले ही तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1,50,000/- रुपये की शेष राशि संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा करेगा। ऐसे जमा पर, विद्वान विचारण न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि, विचारण न्यायालय के निर्णय में अंतर्विष्ट निर्देशों के अनुसार, जुर्माने/प्रतिकर के मद में पुनरीक्षणवादी द्वारा जमा की गई राशि में से शिकायतकर्ता को कुल 2,50,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाए, जो इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व के आदेशों के अनुसरण में शिकायतकर्ता को पहले ही भुगतान की जा चुकी राशि के समायोजन के अधीन होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. पुनरीक्षण उपरोक्त शर्तों पर आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

18 अगस्त, 2026

पी. पांडे

(न्यायमूर्ति श्रीमती वानी रंजन अग्रवाल)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”